B- 3 & 4
L- 18
I. Polity

इंदिरा गांधी के द्वारा निदेशक तत्व को लागू करने का प्रयास :-

- इंदिरा गांधी के द्वारा निदेशक तत्व के अनुच्छेद 39(B)(C) को लागू करने के लिए बैंको का राष्ट्रीयकरण करने का अध्यादेश जारी किया और राष्ट्रपति के द्वारा प्रीवीपर्स को समाप्त करने का आदेश जारी किया गया, लेकिन उच्चतम न्यायालय के द्वारा दोनों को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया।
- 1971 के लोकसभा चुनाव में इंदिरागांधी को दो तिहाई बहुमत मिलने के बाद 24वाँ और 25वाँ संविधान संशोधन किया गया।
- 24वें संविधान संशोधन से गोलकनाथ के द्वारा दिये गये निर्णय को बदल दिया गया।

संपत्ति के अधिकार को सीमित करने का प्रयास :

- 24वें संविधान संशोधन के बाद मूल अधिकारों के संशोधन का रास्ता साफ हो गया। इसलिए 25वें संविधान संशोधन के माध्यम से अनुच्छेद 31 में मुआवजे शब्द को हटा दिया गया और उसके बजाय राशि शब्द का प्रयोग किया गया।

Scanned by CamScanner

- निदेशक तत्वों को प्राथमिक बनाने के लिए पहली बार यह प्रावधान किया गया कि निदेशक तत्व के अनुच्छेद 39(B)(C) को लागू करने के लिए अनुच्छेद 14, 19 और 31 का उल्लंघन किया जा सकता है।
- 25 वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रीवीपर्स को भी समाप्त कर दिया गया।
- निदेशक तत्वों को प्रभावी बनाने के लिए इंदिरा गांधी ने 42 वाँ संविधान संशोधन भी कराया और यह प्रावधान किया कि किसी भी निदेशक तत्व को लागू करने के लिए मूल अधिकार के अनुच्छेद - 14, 19, 31 का उल्लंघन किया जा सकता है।

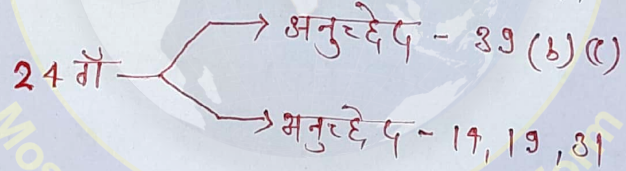

सम्पत्ति के अधिकार की मूल अधिकारों के रूप में समाप्ति :-

i) जनता पार्टी सरकार के द्वारा 44 वें संविधान संशोधन (1978) के माध्यम से सम्पत्ति के अधिकार को भाग 3 से हटा दिया गया। और इसे अनुच्छेद - 300 (A) में जोड़ा गया। जिससे सम्पत्ति का अधिकार अब मूल

Scanned by CamScanner

अधिकार के बजाय संवैधानिक अधिकार बन गया अतः कोई भी व्यक्ति अब सम्पत्ति के अधिकार के लिए सीधा अनुच्छेद 32 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट में नही जा सकता।

- अतः सम्पत्ति के अधिकार की रक्षा के लिए व्यक्ति उच्च न्यायालय में अनुच्छेद 226 के अन्तर्गत जा सकता है

मूल अधिकार एवं निदेशक तत्व के बीच समन्वय एवं सामंजस्य :-

- उच्चतम न्यायालय ने 42 वें संविधान संशोधन को (अनुच्छेद 31 (D) संविधान की भावना के विरुद्ध माना है। (मिनर्वा मिल्स वाद)

न्यायालय ने 31(D) को रद्द कर दिया और कहा मूल अधिकार और निदेशक तत्व के बीच समन्वय एवं सामंजस्य बढ़ाने की आवश्यकता है। किसी को एक दूसरे पर प्राथमिकता देने की आवश्यकता नही है। (Harmonius Construction)

लेकिन उच्चतम न्यायालय ने 25 वें संविधान संशोधन के उस भाग को संवैधानिक कहा जिसमें 39 (B) (C) को अनुच्छेद 14, 19, 21 से प्राथमिक कहा जायेगा।

Scanned by CamScanner

संपत्ति के अधिकार के संबंध में उच्चतम न्यायालय का ऐतिहासिक निर्णय :-

- कोलकाता नगर निगम वाद में (2024) अनुच्छेद 300A की व्याख्या करते हुए कहा कि संपत्ति का अधिकार संवैधानिक अधिकार है जिसको बिना किसी विधि के निर्माण के छीना नहीं जा सकता।
- सम्पत्ति अधिग्रहित करने के लिए विधि में उचित प्रक्रिया भी होनी चाहिए और संपत्ति अर्जित करने के कारण और नागरिकों की सुनवाई भी आवश्यक है।
- इसी के साथ व्यक्ति को उचित मुआवजा भी प्राप्त होना चाहिए और राज्य के द्वारा संपत्ति का अर्जन त्वरित भी होना चाहिए जिसमें संपत्ति अर्जन का उल्लेख भी आवश्यक है।

KHAN GLOBAL STUDIES
Most Trusted Learning Platform
KHAN SIR

Scanned by CamScanner

संवैधानिक उपचारों का अधिकार

- एस डी एम जबलपुर बनाम शिवकान्त शुक्ला वाद में यह कहा गया था कि आपातकाल के समय बन्दी प्रत्यक्षीकरण भी निलंबित रहेगा जिसका अभिप्राय है कि जीवन का अधिकार भी उपलब्ध नही होगा लेकिन 44वें संविधान संशोधन से यह प्रावधान किया गया कि आपातकाल के दौरान भी बंदी प्रत्यक्षीकरण का निलंबन नही होगा क्योंकि आपातकाल के समय भी अनुच्छेद 20 और 21 निलंबित नही किया जायेगा।

Scanned by CamScanner